



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 23 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शफीक उर्फ गामा पुत्र श्री इनाममुल्ला, निवासी जनपद-रामपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 01-09-2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बंदी शफीक उर्फ गामा पुत्र श्री इनाममुल्ला, मोहल्ला रसूलपुर, थाना-स्वार, जनपद-रामपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा मजदूरी का पैसा मांगने के विवाद को लेकर दिनांक 02.05.1981 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छूरी व तमंचा से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-254/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, रामपुर के आदेश दिनांक 14.10.1982 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.09.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.08.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 08 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 01 माह, 03 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी पैरोल पर रहने के उपरान्त किसी भी अपराधिक गतिविधियों में खुद सम्मिलित न रह कर किसी न किसी रूप में अपने परिवार के अपराधिक लोगों को संश्रय देता रहता है। यदि समयपूर्व रिहा किया जाता है तो परिवार के लोगों को अपराधिक रूप से सहारा देने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, रामपुर की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शफीक उर्फ गामा (बन्दी संख्या-49645) पुत्र श्री इनाममुल्ला, निवासी जनपद-रामपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-433/2026/2034(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।